बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– रब्बी विपणन मौसम 2019–20 के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह 01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 500.00 करोड़ (पॉच सौ करोड़) रूपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

रब्बी विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा सीधे किसानो से गेहूँ का क्रय किया जाना है एवं अधिप्राप्ति गेहूँ को राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये गेहूँ का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केन्द्रों से PFMS के माध्यम से क्रय के पश्चात तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को गेहूँ बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।

2. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में राशि की आवश्यकता है।

3. रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 अंतर्गत भारत सरकार के पत्र सं0 07(10)/2018 PY. I दिनांक 19.02.2019 के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 30, जून 2019 निर्धारित किया गया है तथा उपर्युक्त अधिप्राप्ति वर्ष के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य 02 लाख मे0टन निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840/–रू0 प्रति क्वीं0 निर्धारित किये जाने की सूचना है।

4. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2019–20 में क्रियाशील पूँजी की व्यवस्था हेतु वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 20.02.2019 को सर्कुलर के माध्यम से निगम निदेशक पर्षद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है एवं औपचारिक सहमति प्राप्त करते हुए क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक से वार्षिक एवं त्रैमासिक ब्याज दर पर कुल 500 करोड़ रूपये का ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

5. निगम निदेशक पर्षद की अनुमति के आलोक में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत रब्बी विपणन मौसम 2019–20 के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु क्रियाशील पूँजी के रूप में निम्नांकित दो बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर कुल 500 (पॉच सौ) करोड़ रूपये ऋण हेतु सरकार की बैंक गारंटी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0सं0	बैंक का नाम	ऋण राशि (करोड़ में)	ब्याज दर (वार्षिक MCLR)	ऋण राशि (करोड़ में)	ब्याज दर (त्रैमासिक)
1	पंजाब नेशनल बैंक	300	8.55	XX	XX
2	यूको बैंक	XX	XX	200	8.35

D:\Section 10\2012\Sec_4\KMS_12-13\Sanlekh.doc

6. रब्बी विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दिया जाने वाला कुल 500 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी की राशि मात्र गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ही मान्य होगा एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात उक्त राशि को संबंधित बैंको को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात अधिकतम 06 माह तक ही प्रभावी होगा।

7. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 हेतु स्वीकृत गारंटी पर नियमानुसार गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

8. रब्बी विपणन मौसम 2019–20 हेतु उपर्युक्त व्यावसायिक बैंको से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किये जाने वाले ऋण की राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संधारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संधारित किया जायेगा।

9. अतः **रब्बी विपणन मौसम 2019–20 के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह 01 अप्रैल, 2019 से माह 30, जून, 2019) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में कंडिका 05 में अंकित कुल 02 व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 500 करोड़ रूपये (पॉच सौ करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

(हस्ताक्षर) 6/3/2019

(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 1123 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/03/19

प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियॉं विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 1123 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/03/19

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 1123 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/03/19

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 1123 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/03/19

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित निर्णय के यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 1123 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/03/19

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 05.03.2019 में मद संख्या–40** के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

D:\Section 10\2012\Sec_4\KMS_12-13\Sanlekh.doc

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 1123 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/03/19

प्रतिलिपि – सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/3/2019

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 1123 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/03/19

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

6/3/2019

सरकार के सचिव ।